

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष : विकास शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र० 2400179-ए/2016

F.No. 102103/2016

संस्थापित दिनांक 18.10.2016

1. सुनीता बेबा बृजमोहन आयु 51 वर्ष
2. मोहनीश पुत्र बृजमोहन आयु 25 वर्ष,
निवासीगण ग्राम लहरोली तहसील व
जिला भिण्ड

..... आवेदकगण/वादीगण

वि रु द्ध

1. वीरसिंह उर्फ वीरेन्द्रसिंह पुत्र श्री मुलूसिंह
आयु 68 वर्ष, धंधा खेती निवासी ग्राम
लहरोली तहसील व जिला भिण्ड
हाल-निवासी ब्लॉक कॉलोनी चतुर्वेदी नगर
पानी की टंकी के पास भिण्ड ।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र वीरेन्द्रसिंह आयु 50 वर्ष जाति
ठाकुर धंधा खेती निवासी ग्राम लहरोली
तहसील व जिला भिण्ड हाल-हाल-निवासी
ब्लॉक कॉलोनी चतुर्वेदी नगर पानी की टंकी
के पास भिण्ड ।
3. सोबरनसिंह पुत्र मुलूसिंह आयु 57 वर्ष,
निवासी लहरोली तहसील व जिला भिण्ड
4. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, भिण्ड

..... अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

(// आदेश //)

(आज दिनांक 11.05.2017 को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदकगण/वारीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी (आई.ए. नम्बर-1) का निराकरण करेगा।

2. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम लहरोली स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 794 रकवा 5 वीघा 2 विश्वा, (नवीन सर्वे क्रमांक 1081) सर्वे क्रमांक 849 रकवा 2 वीघा 18 विश्वा (नवीन सर्वे क्रमांक 1083) सर्वे क्रमांक 795 रकवा 1 वीघा 9 विश्वा (नवीन सर्वे क्रमांक 1090) सर्वे क्रमांक 839,840 रकवा कमशः 3 विश्वा , 8 विश्वा (नवीन सर्वे क्रमांक 1176) सर्वे क्रमांक 923 रकवा 2 वीघा 17 विश्वा नवीन (सर्वे नम्बर 1200), सर्वे क्रमांक 958 रकवा 19 विश्वा (नवीन सर्वे क्रमांक 1263)

सर्वे क्रमांक 931 रकवा 7 विश्वा (नवीन सर्वे क्रमांक 1258) सर्वे क्रमांक 800 रकवा 3 वीघा 6 विश्वा (नवीन सर्वे क्रमांक 1092) कुल किता 9 अत्र पश्चात विवादित भूमि प्रारम्भ में मूलसिंह की मिलिकियत की थी, जिसकी करीब 65 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 वीरसिंह उर्फ वीरेन्द्रसिंह व प्रतिवादी क्रमांक 3 सोवरनसिंह को समान भाग के रूप में विरासत में प्राप्त हुई थी। मूलू सिंह के दो पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 वीरसिंह उर्फ वीरेन्द्रसिंह तथा प्रतिवादी क्रमांक 3 सोवरनसिंह थे। वीरसिंह उर्फ वीरेन्द्रसिंह के दो पुत्र जिनमें बृजमोहन जो वादी क्रमांक 1 पति एवं वादी क्रमांक 2 का पिता था, जिनकी भी मृत्यु दिनांक 25.11.2011 को हो चुकी है तथा दुसरा पुत्र महेन्द्रसिंह प्रतिवादी क्रमांक 3 है।

3. विवादित भूमि संयुक्त परिवार सम्मिलित पुश्तैनी भूमि थी, जिसका कोई विधिवत बटवारा नहीं हुआ है। मूलू सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्रगण प्रतिवादी क्रमांक 1 वीरसिंह उर्फ वीरेन्द्र सिंह तथा प्रतिवादी क्रमांक 3 सोवरनसिंह के नाम पर नामांतरण हो गया था। वादी क्रमांक 1 तथा वादी क्रमांक 2 के क्रमशः पति एवं पिता होने से वैध वारिस है। उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 तथा प्रतिवादी क्रमांक 3 के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है, जिसमें आवेदक/वादीगण को कोपार्सनरी की हैसियत से स्वत्व व अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी क्रमांक 1, वादी क्रमांक 1 का ससुर तथा वादी क्रमांक 2 का बाबा है, जो विरासत में हुई भूमि को बिना किसी आवश्यकता के अन्यत्र रहन बंधक एवं किसी प्रकार का अंतरण करने का उसे अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 3 के साथ मिलकर उक्त विवादित संयुक्त भूमि को विक्रय करना चाहता है, यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा बिरासत की उक्त भूमि को विक्रय कर दिया गया तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जबकि उक्त भूमि संयुक्त परिवार की पुश्तैनी भूमि है। वादीगण मृतक बृजमोहन के वैध वारिस है, इस कारण पुश्तैनी भूमि में वादीगण का हिस्सा है। वर्ष सितम्बर 2016 में जब वादी क्रमांक 2 अपनी फसल देखने गया तो पड़ोसियों ने बताया कि उक्त भूमि वीरसिंह विक्रय करना चाह रहे हैं, इस संबंध में वादी क्रमांक 2 ने वादी क्रमांक 1 अपनी मां को उक्त तथ्य से अवगत कराया तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 से जब इस संबंध में चर्चा की तो उसने बताया कि उक्त भूमि का तन्हा मालिक होने से जमीन को विक्रय करना चाहता हूँ और आप लोगों का इसमें कोई हिस्सा नहीं है तथा वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य होने से इंकार कर दिया। प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में होने से आवेदन स्वीकार कर पुश्तैनी भूमि जो वादीगण को बिरासत में प्राप्त हुई है, प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय करने से निषेधित किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. आवेदक/प्रतिवादी क्रमांक 1 बीर सिंह उर्फ वीरेन्द्र सिंह की ओर से लिखित कथन एवं आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुये व्यक्त किया गया है कि पिता के जीवनकाल में पिता के स्वामित्व व आधिपत्य की संपत्ति में पुत्र, पुत्री अथवा नाती का कोई हक नहीं होता है तथा विवादित भूमि स्वयं

के हिंदू परिवार की सम्मिलित भूमि न होकर प्रतिवादी क्रमांक 1 की तन्हा, स्वामित्व व आधिपत्य की संपत्ति है, जिसमें किसी का हक नहीं है और उसके बटवारे का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि में कोपार्सनरी की हैसियत से वादीगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। वादीगण तथा प्रतिवादीगण अलग अलग निवास करते हैं तथा उसकी पत्नी वृद्ध है, जिसकी वादीगण कोई मदद नहीं कर रहे हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित भूमि को विक्रय नहीं कर रहा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादीगण के पक्ष में न होकर प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में होने से आवेदकगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 3 अनिर्वाहित है तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 4 एक पक्षीय है।

6. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में है?

ब. क्या सुविधा का संतुलन आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में है?

स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदकगण/वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

7. यह अविवादित तथ्य है कि वादी क्रमांक 1 प्रतिवादी क्रमांक 1 के पुत्र की पत्नी है तथा वादी क्रमांक 2 प्रतिवादी क्रमांक 1 के पुत्र का पुत्र है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 भाई हैं।

8. वादीगण द्वारा यह वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र के अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन के अनुसार वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर स्वयं के स्वत्व का आधार वादग्रस्त भूमि को कोपार्सनरी संपत्ति होने के आधार पर बताया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने लिखित कथन एवं शपथपत्रीय कथन में वादग्रस्त भूमि को स्वअर्जित संपत्ति होना बताते हुये वादग्रस्त भूमि को कोपार्सनरी भूमि नहीं होना बताया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि कोपार्सनरी संपत्ति होने अथवा स्वअर्जित संपत्ति होने के संबंध में उभयपक्ष के अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन परस्पर विरोधाभासी होने के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

9. वादीगण के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खसरा 1999, खसरा संवत् 2010-16, परिवर्तन सूची तथा खसरा एवं खतौनी वर्ष 2014-15 अभिलेख पर प्रस्तुत किये हैं। वाद पत्र के अभिवचन के अनुसार वादीगण ने वादग्रस्त संपत्ति को मुलू की संपत्ति होने के कारण वादग्रस्त संपत्ति पर स्वयं का अधिकार होना बताया है। खसरा वर्ष 1999 के अनुसार सर्वे क्रमांक

800 एवं 931 पर अन्य खातेदारों के साथ मुलू का नाम दर्ज होना दर्शित है तथा उक्त खसरा में अन्य किसी सर्वे क्रमांक पर मुलू का नाम दर्ज होना दर्शित नहीं है। खसरा संवत् 2010-14 में किसी भी सर्वे नंबर पर मुलू का नाम दर्ज नहीं है, बल्कि वीरसिंह एवं सोवरन सिंह का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। खसरा एवं खतौनी वर्ष 2014-15 में भी समस्त वादग्रस्त सर्वे क्रमांकों पर सोवरन सिंह एवं वीरसिंह का नाम होना दर्ज है। इस प्रकार वादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से वादग्रस्त भूमि मुलू सिंह की होना प्रकट नहीं होती है। बल्कि सोवरन सिंह व वीरसिंह की होना प्रथम दृष्टया दर्शित है।

10. वादीगण के द्वारा अभिवचन में बताये गये स्वत्व के स्रोत के संबंध में जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये हैं, उनके आधार पर प्रथम दृष्टया संपूर्ण वादग्रस्त भूमि मुलू के नाम होने प्रकट नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त भूमि मुलू की भूमि होकर कोपार्सनरी संपत्ति है और वादीगण कोपार्सनर होने से वादग्रस्त संपत्ति में प्रथम दृष्टया हित रखते हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक आधिपत्य का प्रश्न है, वादीगण की ओर से प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज से वादीगण का आधिपत्य होना भी दर्शित नहीं है। अतः उपरोक्त के आधार पर प्रथम दृष्टया वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

11. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया गया है तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्वामित्व व आधिपत्य प्रथम दृष्टया साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादीगण के पक्ष में होना नहीं मानी जा सकती। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति की संभावना भी वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

12. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादीगण के पक्ष में न होने से वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 11.05.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)